



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No. 2025/HQ/Admin/RTI-305

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

New Delhi: 21.05.2025

श्री धीरज कुमार शर्मा

पुत्र श्री सुभाष चंद्र शर्मा

गांव - सिथरोली, पोस्ट - हाथरस जंक्शन

जनपद - हाथरस - 204102

उत्तर प्रदेश

Mobile-9837352824

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 21.04.2025 जो इस कार्यालय में दिनांक 29.04.2025 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है:

श्री दरोगा लाल यादव,

महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

Email ID: dlyadav@dfcc.co.in

Mobile No.8368028905

DFCCIL कॉर्पोरेट ऑफिस काम्प्लेक्स

सेक्टर-145, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306

संलग्न: 01 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

अपर महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

9717636811

विषय - श्री धीरज कुमार शर्मा द्वारा आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना।

संदर्भ: RTI. No: 305 dated 28.04.2025.

क्रम संख्या	जानकारी मांगी गई	जवाब
1	डेडीकेट फ्रन्ट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये दिशा निदेशों का पालन करते हुये DFCCIL मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा परियोजना से प्रभावित किसानों को उनकी प्रभावित हुई जमीन पर नये टावर फाउन्डेशनों का निर्माण कराने से उनकी क्षतिपूर्ति हुई जमीनों की मुआवजा राशि भुगतान DFCCIL मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा फण्ड आवंटित किया गया है कि सही व स्पष्ट सूचना आवेदक को उपलब्ध करने का कष्ट करें।	अपना प्रसंग स्पष्ट करें, एवं यह बताया जाए की आपके द्वारा मांगी गई दस्तावेज़ किस यूनिट से संबंधित है।
2	डेडीकेट फ्रन्ट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रभावित किसानों को अपनी क्षतिपूर्ति हुई जमीन की मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिये कौन-कौन से दस्तावेज सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक कार्यालय में जमा करने हैं कि पूर्ण व स्पष्ट सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रभावित किसानों को अपनी क्षतिपूर्ति हुई जमीन की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य सरकार के प्रावधानों एवं राजस्व अधिकारी निर्देशानुसार के आधार पर दस्तावेज़ मांगी जाती है। भुगतान हेतु दस्तावेज़ DFCCIL कार्यालय के परियोजना प्रबंधक के कार्यालय में जमा नहीं करना होता है।

*Anneet Kumar*  
AM/SEMU/APIO  
20.05.2025

GM/LA&SEMU *[Signature]* 20.5.25

AGM/Admn (PIO) *[Signature]*